

भाग— IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

Recommended for approval

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)

दिनांक:— 22.02.2018

स्थान:— Lucknow



डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / सहायक अधिकारी
वन (संरक्षण) विभाग-1980,
(3090,) ज० अ०

नाम और पद नाम

सरकारी मोहर